



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर भोपाल
दूरभाष: मुख्यालय भोपाल-0755 / 2776575

“आम, कटहल एवं नीबू बगीचों में लगे फल के विक्रय एवं
उक्तावधि में वृक्ष संवर्धन”

हेतु ई—निविदा प्रपत्र 2024

विस्तृत जानकारी एवं भाग लेने हेतु WWW.mptenders.gov.in पर देखें
विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाइट www.mpagro.org पर भी देखी जा सकती है ।
(आवश्यकतानुसार सभी शुद्धि पत्र www.mpagro.org पर ही प्रदर्शित होंगे)



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर भोपाल
दूरभाष: मुख्यालय भोपाल-0755 -2551967, 2776575

क./मुख्या/बाबई/2024-25/ 183

दिनांक 18.04.2024

आम, कटहल एवं नीबू बगीचों में लगे फल के विक्रय एवं उक्तावधि में वृक्ष संवर्धन हेतु ई-निविदा सूचना

निगम के यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र, बाबई जिला होशंगाबाद में आम, कटहल एवं नीबू बगीचों में फल के नीलामी एवं उक्तावधि में वृक्ष संवर्धन हेतु ई-निविदां दिनांक 03.05.2024 तक आमंत्रित की जाती है। www.mptenders.gov.in पर विस्तृत जानकारी के साथ ऑनलाईन भाग लिया जा सकता है। निगम की वेबसाइट www.mpagro.org पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।

निविदान्तर्गत समस्त शुद्धि पत्र की सूचना मात्र www.mpagro.org वेबसाइट पर ही दी जायेगी

|

प्रबंधक (बाबई)



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर भोपाल
दूरभाष: मुख्यालय भोपाल-0755 -2551967, 2776575

ई-निविदा प्रपत्र में 12 पृष्ठ है । अनुक्रमणिका निम्नानुसार है :-

क्र.	मुख्य शीर्षक	संदर्भ	पृष्ठ क्र.
1	आम, कटहल एवं नीबू बगीचों में लगे फल के विक्रय एवं उक्तावधि में वृक्ष संवर्धन हेतु ई-निविदा सूचना	---	02
2	ई-निविदा प्रपत्र में 12 पृष्ठ है ।		03
3	ऑनलाईन ई-निविदा क्रय जमा एवं खोले जाने की दिनांक एवं समय	---	04
4	ई-निविदा की सामान्य शर्तें	प्रपत्र क्रमांक -1	05 से 09 तक
5	ई-निविदा अन्तर्गत दस्तावेजों की आहता	बिन्दु क्र.-5.5	04, 05
6	अनुबंध	प्रपत्र क्रमांक -2	10
7	आम, कटहल एवं नीबू बगीचों में लगे फल के विक्रय एवं उक्तावधि में वृक्ष संवर्धन हेतु बगीचों की संकल्प धनराशि के सम्पूर्ण जानकारी का विवरण	प्रपत्र क्रमांक -3	11
8	वित्तीय प्रस्ताव	प्रपत्र क्र.-4	12



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर भोपाल
दूरभाष: मुख्यालय भोपाल-0755 -2551967, 2776575

ऑनलाईन निविदा प्रपत्र मूल्य, विक्रय, जमा, तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के खोले जाने संबंधित दिनांक एवं समय का विवरण :-

क्र.	विवरण ब्यौरा	राशि/दिनांक/समय
1	ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य	रु. 2500.00 (आनलाईन भुगतान, समस्त कर सहित)
2	ई-निविदा प्रपत्र क्रय एवं जमा करने की आरंभिक निर्धारित दिनांक एवं समय	दिनांक 19.04.2024 पूर्वान्ह 10.30 बजे से
3	प्री बिड मीटींग	दिनांक 29.04.2024 पूर्वान्ह 11.30 बजे
4	ई-निविदा प्रपत्र क्रय करने की निर्धारित अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 03.05.2024 अपरान्ह 2.00 बजे तक
5	ई-निविदा प्रपत्र (मय तकनीकी एवं वित्तीय बिड) जमा करने की निर्धारित अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 03.05.2024 अपरान्ह 3.00 बजे तक
6	ई-निविदा प्रपत्र (तकनीकी बिड) खोले जाने की निर्धारित दिनांक एवं समय	दिनांक 03.05.2024 अपरान्ह 4.00 बजे
7	तकनीकी बिड में सफल निविदाकर्ताओं के वित्तीय बिड खोले जाने की निर्धारित दिनांक एवं समय	तकनीकी बिड पर अंतिम रूप किये जाने के पश्चात वित्तीय बिड खोली जायेगी। वित्तीय बिड खोले जाने के दिनांक एवं समय की सूचना वेबसाइट www.mptenders.gov.in एवं www.mpagro.org पर प्रदर्शित की जायेगी।

प्रबंधक (बाबई)

ई-निविदा में भाग लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज :-

क्र.	विवरण	प्रति ऑनलाईन अपलोड
1	निजी व्यक्ति द्वारा ई-निविदा में भाग लेने हेतु	आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति
2	फर्म/कम्पनी की ओर से ई-निविदा में भाग लेने हेत	1. का वैद्य गुमाश्ता प्रमाण-पत्र कम्पनी निर्गमन की स्व-प्रमाणित प्रति 2. ई-निविदा प्रस्तुत करने के अधिकार संबंधी संचालक मंडल के निर्णय की प्रति



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर भोपाल
दूरभाष: मुख्यालय भोपाल-0755 –2551967, 2776575

प्रपत्र क्रमांक –1

आम, कटहल एवं नीबू बगीचों में लगे फल के विक्रय एवं उक्तावधि में वृक्ष संवर्धन हेतु ई-निविदा की सामान्य शर्तें

1. ई-निविदा सूचना एवं ई-निविदा में प्रदर्शित बगीचे निगम के यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र बाबई, जिला होशंगाबाद में स्थित है।
2. प्रत्येक निविदाकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी दर प्रस्तुत करने के पूर्व बगीचे का भलीभांति निरीक्षण कर ले (मंगलवार को छोड़कर) जिसके लिये वह ई-निविदा प्रस्तुत कर रहा है।
3. ई-निविदा में उल्लेखित बगीचे (पृष्ठ क्र.12) के सम्पूर्ण क्षेत्रफल (इकाई) के लिये दरें प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. संकल्प धनराशि :-
 - 4.1 संकल्प धनराशि बगीचेवार (एकड़ में) पृथक-पृथक जमा करनी होगी।
 - 4.2 संकल्प धनराशि ऑनलाईन जमा की जानी होगी।
 - 4.3 बिना संकल्प धनराशि के कोई भी ई-निविदा ऑनलाईन जमा नहीं हो सकेगी।
5. ई-निविदा को प्रस्तुत किया जाना :-
 - 5.1 **पृष्ठ क्रमांक 4** पर उल्लेखित समय सीमा में ई-निविदा प्रपत्र का क्रय करना, उसे जमा करना एवं खोलने का रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि निर्धारित दिनांक को शासकीय अवकाश घोषित होता है तो उसे आगामी कार्य दिवस में समान समय पर कार्यवाही की जावेगी।
 - 5.2 निविदाकर्ता द्वारा ई-निविदा में भाग लेने हेतु ई-निविदा प्रपत्र हेतु राशि रु. 2500/- (जी.एस.टी. सहित) ऑनलाईन जमा करेंगे।
 - 5.3 निविदाकर्ता द्वारा ई-निविदा में क्षेत्रफलवार प्रस्तुत दर हेतु संकल्प धनराशि ऑनलाईन जमा की जाना होगी।

- 5.4 निविदाकर्ता ई-निविदा के सभी पृष्ठ एवं न्यूनतम आहता के समस्त दस्तावेज पर स्वयं के हस्ताक्षर, नाम एवं सील अंकित करेंगे एवं स्पष्ट स्केन्ड कापी को ई-निविदा में अपलोड करेंगे।
- 5.5 निजी व्यक्ति द्वारा ई-निविदा में भाग लेने हेतु आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति व फर्म/कम्पनी की ओर से ई-निविदा में भाग लेने हेतु फर्म/कम्पनी का वैद्य गुमाश्ता प्रमाण-पत्र कम्पनी निर्गमन की स्व-प्रमाणित प्रति ऑनलाईन अपलोड करना आवश्यक होगा जिसके अभाव में ई-निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। कम्पनी के प्रकरण में ई-निविदा प्रस्तुत करने के अधिकार संबंधी संचालक मंडल के निर्णय की प्रति के साथ प्रस्तुत करना है।

- 5.6 ई-निविदा में स्वयं के हस्ताक्षर, फर्म/कंपनी का नाम इत्यादि अपलोड किये गये समस्त दस्तावेज की हार्डकापी (6.5 अनुसार) लिफाफा में रखकर सील्ड कर दि एम पी स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिटेड, पंचानन भवन, तृतीय तल,मालवीय नगर, भोपाल में जमा करने की निर्धारित अंतिम दिनांक 03.05.2024 समय 3.30 बजे तक जमा किया जाना होगा। वित्तीय बिड को मात्र ऑनलाईन भरा जाना होगा, वित्तीय बिड की हार्डकापी लिफाफे में प्रस्तुत नहीं की जावेगी ।
- 5.7 निविदाकर्ता ई-निविदा दरें (प्रपत्र क्र.-4, पृष्ठ क्रमांक 12 अनुसार) मात्र ऑनलाईन भरी जायेगी ।

6. ई-निविदा को खोला जाना एवं स्वीकार करना :-

- 6.1 ई-निविदा को दिनांक 03.05.2024 को अपरान्ह 3.00 बजे तक ऑनलाईन जमा की जायेगी एवं दिनांक 03.05.2024 को अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदाकार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि (केवल एक) के समक्ष कम्प्यूटर कक्ष द्वारा खोली जायेगी।
- 6.2 ई-निविदा के तकनीकी बिड में प्राप्त समस्त तकनीकी आर्हताओं की पूर्ति करने वाले निविदाकार की ऑनलाईन वित्तीय बिड निगम द्वारा तकनीकी बिड पर अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात खोली जायेगी। वित्तीय बिड खोले जाने के दिनांक एवं समय की सूचना वेबसाइट www.mptenders.gov.in एवं www.mpagro.org पर प्रदर्शित की जायेगी।
- 6.3 यदि निगम आवश्यक समझेगा, तो निविदाकारों से दरों पर चर्चा (Negotiation) कर सकेगा। दर चर्चा सर्वप्रथम अधिकतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से की जाएगी असहमति होने की दशा में यह दर चर्चा द्वितीय, तृतीय एवं आगे के अधिकतम दर देने वाले निविदाकर्ताओं से की जायेगी। निगम के प्रबंध संचालक को निगम के पक्ष में अधिकतम राशि प्राप्त करने हेतु कोई भी प्रक्रिया के निर्धारण का अधिकार होगा। कम राशि देने वाले निविदाकार को इस संबंध में आपत्ति लेने का अधिकार नहीं होगा। जिस अधिकतम दर पर निगम एवं निविदाकार की सहमति हो जाती है, उस निविदाकार को निगम द्वारा लिखित में निर्धारित प्रपत्र क्र.-2, पृष्ठ क्र.-10 अनुसार अनुबंध रु. 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित एवं नोटराईज्ड कराकर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

7. अन्य विवरण:-

- 7.1 जिस निविदाकर्ता की ई-निविदा स्वीकार की जायेगी उसे निगम द्वारा पत्र से एवं उपलब्ध कराये गये मोबाईल पर सूचित किया जायेगा तथा निगम मुख्यालय एवं बाबई प्रक्षेत्र के नोटिस बोर्ड पर भी ऐसी सूचना लगायी जायेगी ।
- 7.2 ई-निविदा मान्य करने की सूचना-पत्र के दिन से 7 दिवस के अंदर संबंधित निविदाकर्ता को प्रपत्र क्र.-2 में अनुबंध रु. 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित एवं नोटराईज्ड कराकर प्रस्तुत करना होगा (समस्त व्यय निविदाकार द्वारा किया जायेगा)। अनुबंध प्रस्तुत करने के पश्चात ही निगम के निर्देशानुसार निविदाकर्ता

को बगीचेवार जिसके लिये ई—निविदा मान्य की गयी है आधिपत्य दिया जायेगा ।
अनुबंध के पश्चात निविदाकार को अनुबंधकर्ता कहा जायेगा ।

- 7.3 अनुबंध निष्पादित करने के साथ-साथ स्वीकृत राशि की 30 प्रतिशत राशि अनुबंधकर्ता द्वारा जमा करनी होगी। यह राशि संकल्प धनराशि के अतिरिक्त होगी। शेष 70 प्रतिशत राशि आगामी 7 दिवस (अर्थात् ई-निविदा मान्य करने की सूचना पत्र के दिनांक से 10 दिवस के अन्दर) जमा करानी होगी। देय 70 प्रतिशत राशि हेतु—संकल्प धनराशि के रूप में जमा राशि का 85 प्रतिशत अथवा न्यूनतम राशि रु. 5,000/—, जो अधिकतम हो, की राशि (समायोजित की जावेगी) को छोड़कर एवं शेष राशि अनुबंधकर्ता द्वारा जमा करनी होगी। संकल्प धनराशि का 15 प्रतिशत शेष राशि बगीचे से संबंधित कार्य पूर्ण होने के बाद सही में हालत में बगीचे को प्रक्षेत्र प्रभारी को सौंपने के पश्चात वापस की जायेगी। यदि निविदाकर्ता द्वारा उपरोक्तानुसार समय-सीमा में राशि जमा नहीं करायी जाती है, तो **प्रत्येक दिवस एक प्रतिशत राशि पेनाल्टी के रूप में (ई-निविदा की स्वीकृत राशि का) अतिरिक्त देना होगी।** यह अवधि अधिकतम एक सप्ताह की होगी अन्यथा निगम निविदा के साथ जमा संकल्प धनराशि एवं 30 प्रतिशत राशि को जप्त कर लेगा तथा आम, कटहल एवं नीबू बगीचे के विक्रय के संबंध में अन्य कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा।
- 7.4 अनुबंध निष्पादित होने एवं समस्त राशि जमा करने के पश्चात ही अनुबंधकर्ता को संबंधित फलवृक्षों से फल उतारने का अधिकार प्राप्त होगा।
- 7.5 अनुबंधकर्ता की ई-निविदा स्वीकृत होने के उपरांत जब तक अनुबंधकर्ता सम्पूर्ण राशि कार्यालय में जमा नहीं कर देता इसके पूर्व तक यदि हवा, आंधी तूफान या अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण फल वृक्ष से गिरते हैं, तो उन फलों पर प्रक्षेत्र का अधिकार होगा एवं प्राकृतिक आपदा का कोई भी भरपाई **(Compensation)** निगम द्वारा नहीं की जायेगी।
- 7.6 फलों को उतारना, चुनना, इकट्ठा करना, उनका परिवहन एवं चौकीदारी इत्यादि के समस्त व्यय अनुबंधकर्ता वहन करेंगे। फलों की चोरी व अन्य किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसे आंधी ,तूफान ,ओले आदि से हुए नुकसान के लिये पूर्ण उत्तरदायित्व अनुबंधकर्ता का होगा।
- 7.7 अनुबंधकर्ता द्वारा जिन व्यक्तियों को क्रमांक 7.6 के अनुसार कार्य पर लगाया जाता है, तो इन सभी की जानकारी (आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति के साथ) प्रक्षेत्र प्रभारी, बाबई को दी जायेगी एवं उनकी स्वीकृति के उपरांत ही उसे कार्य करने की स्वीकृति दी जायेगी।
- 7.8 यदि अनुबंधकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति फल उतारता है तो उसके विरुद्ध योग्य कानूनी कार्यवाही का अधिकार अनुबंधकर्ता को होगा। यदि प्रक्षेत्र का कोई कर्मचारी अनाधिकृत रूप से फल उतारता है तो उसकी लिखित सूचना प्रक्षेत्र प्रभारी को देना होगी तथा प्रक्षेत्र प्रभारी इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।
- 7.9 प्रत्येक बगीचे के 1 वृक्ष को प्रक्षेत्र प्रभारी चयनित कर प्रायोगिक कार्य हेतु सुरक्षित रखेंगे जिसके फल उतारने का अधिकार केवल प्रक्षेत्र प्रभारी को होगा।
- 7.10 यदि अनुबंधकर्ता या उसके प्रतिनिधि या कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों द्वारा प्रक्षेत्र सम्पत्ति या वृक्षों को हानि पहुँचाई जाती है तो ऐसी हानि की क्षतिपूर्ति का आंकलन प्रक्षेत्र प्रभारी करके हानि की राशि जमा करने की लिखित सूचना देंगे तथा अनुबंधकर्ता को ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि तत्काल जमा करना होगी। क्षतिपूर्ति की राशि न देने पर प्रक्षेत्र के बाहर फलों का परिवहन तत्काल प्रभाव से रोक दिया जायेगा।

- 7.11 किसी प्रकार के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर जैसे मण्डी टैक्स/जी.एस.टी. टैक्स इत्यादि स्वीकृत राशि के अतिरिक्त होंगे जिसे अनुबंधकर्ता द्वारा प्रक्षेत्र प्रभारी के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।
- 7.12 अनुबंधकर्ता अपने साथ प्रक्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में कोई पशु/जानवर नहीं लायेगा और न ही किसी अनाधिकृत व्यक्ति को अपने साथ लायेगा और न ही कोई ऐसी कार्यवाही करेगा जो नियमों के विरुद्ध हो। प्रक्षेत्र के किसी भी क्षेत्र से घास काटने का अधिकार भी अनुबंधकर्ता को नहीं होगा।
- 7.13 अनुबंधकर्ता को प्रत्येक वृक्ष से प्रतिदिन उतारे गये फलों के वजन की वास्तविक जानकारी प्रक्षेत्र प्रभारी को देना होगी जिससे वे फलों का वर्षवार रिकार्ड तैयार कर सकें। इसके लिये जिस वाहन से फलों को ले जाना है उसका खाली व भरे हुए का वजन तौलकांटे से कराकर रसीदें प्रस्तुत करना होगी।
8. अनुबंधकर्ता को दिनांक 15.07.2024 तक वृक्षों से फल उतारना आवश्यक होगा। यदि अनुबंधकर्ता दि. **15.07.2024** के पूर्व ही फल उतार लेता है तो उसके पश्चात संबंधित बगीचे में रुकने का अधिकार नहीं होगा।
9. फल उतारने की तिथि में सामान्य रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। अपरिहार्य कारणों से यदि दिनांक **15.07.2024** तक फल नहीं उतारने पर अनुबंधकर्ता को लिखित में फल उतारने के कारणों में वृद्धि के लिये आवेदन प्रक्षेत्र बाबई के माध्यम से देना होगा तथा निगम के प्रबंध संचालक समय सीमा में वृद्धि करने अथवा न करने के संबंध में अधिकार सुरक्षित रखेंगे। प्रबंध संचालक द्वारा लिये गये निर्णय पर किसी प्रकार की आपत्ति लेने का कोई अधिकार अनुबंधकर्ता को नहीं होगा।
10. बगीचों में वृक्षों को पानी देने की जवाबदारी प्रक्षेत्र प्रभारी की नहीं होगी। प्रक्षेत्र पर बगीचों की सिंचाई हेतु बोर एवं चालू हालत में सबमर्सिबल पंप उपलब्ध कराये जायेंगे जिससे सिंचाई किये जाने की जवाबदारी अनुबंधकर्ता की रहेगी। निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये सबमर्सिबल पंप कार्य पूर्ण होने के उपरांत चालू हालत में वापस किये जाना अनिवार्य है। यदि पंप में कोई खराबी उत्पन्न होती है, तो ऐसी हानि की भरपाई अनुबंधकर्ता से की जायेगी।
11. सबमर्सिबल पंप के खराब होने पर उसे प्रक्षेत्र प्रभारी द्वारा सुधरवाया जाएगा जिसकी वास्तविक व्यय की पूर्ति अनुबंधकर्ता को करना होगी।
12. बिजली चोरी करते पाये जाने पर संबंधित एजेन्सी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का पूर्ण उत्तरदायित्व अनुबंधकर्ता का होगा।
13. बगीचों के अलावा जिन नलकूपों पर प्रक्षेत्र का स्थायी विद्युत कनेक्शन है एवं प्रक्षेत्र प्रभारी पानी देने हेतु सहमत हैं, ऐसे नलकूपों को यदि बगीचों के लिये उपलब्ध कराया जाता है तो विद्युत व्यय एवं **कंडिका क्र. 14** अनुसार पाईप का किराया का भुगतान अनुबंधकर्ता को किया जाना होगा। इस हेतु अग्रिम में तीन माह की राशि प्रक्षेत्र कार्यालय में जमा कराना होगी। अनुबंधकर्ता यदि चाहे तो अन्य नलकूपों हेतु अस्थायी विद्युत कनेक्शन भी ले सकता है।
14. बगीचों की सिंचाई के लिये प्रक्षेत्र पर एच.डी.पी.ई पाईप उपलब्ध है। यदि अनुबंधकर्ता चाहे तो एच.डी.पी.ई पाईप 20/- प्रति पाईप प्रतिमाह की दर से राशि प्रक्षेत्र कार्यालय में जमा कर प्राप्त कर सकता है। प्रक्षेत्र से किराये पर लिये गये पाईप अच्छी हालत में निगम को वापस किये जाने होंगे। यदि अनुबंधकर्ता द्वारा खराब/क्षतिग्रस्त पाईप वापस किये जाते हैं तो पाईप की राशि की भरपाई अनुबंधकर्ता से होगी।

15. ईकाई क. 02 में स्थित आम बगीचे 80 एकड एवं 47 एकड तथा ईकाई क. 03 में स्थित 50 एकड में सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जावेगी। इसी प्रकार नीबू ईकाई क. 03 में भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी।
16. निगम के प्रबंध संचालक किसी भी ई-निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकेंगे।

17. अनुबंधकर्ता एवं प्रक्षेत्र प्रभारी में यदि किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा होता है तो ऐसा प्रकरण निगम मुख्यालय के प्रबंधक (बाबई) को प्रस्तुत किया जायेगा। प्रबंधक (बाबई) इस संबंध में आवश्यक निर्णय ले सकेंगे। प्रबंधक द्वारा लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबंध संचालक को प्रस्तुत किया जायेगा जो “आब्रिट्रेटर” के रूप में अपना निर्णय देंगे। आब्रिट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण केवल भोपाल जिले के लिये अधिकृत न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा।
18. ई-निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ यह होगा कि निविदाकर्ता द्वारा ई-निविदा की समस्त शर्तों को भलीभांति पढ़ कर समझ लिया है और उसे स्वीकार करने के उपरान्त ही उसके द्वारा ई-निविदा प्रस्तुत की गई है।

प्रबंधक (बाबई)

:: अनुबंध-पत्र ::

(राशि रु. 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज किया जाना है)

यह अनुबंध आज दिनांक को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा जिसे आगे "निगम" कहा जावेगा एवं मेसर्स की ओर से श्री..... .. जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे अनुबंधकर्ता कहा जावेगा, के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञापित प्रकाशित कर आम, कटहल एवं नीबू बगीचे के विक्रय हेतु ई-निविदा दिनांक-----को ई-निविदा आमंत्रित की गई एवं निविदाकर्ता द्वारा ई-निविदा प्रपत्र निगम की ओर से क़य करते हुए एवं शर्तों को मान्य करते हुए ई-निविदा में भाग लिया गया है । ई-निविदा प्रपत्र भी इस अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक दिनांक से निविदाकर्ता की ई-निविदा में उल्लिखित दरों को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत कार्यवाही की गई है ।

निगम द्वारा अनुबंधकर्ता की आम, कटहल एवं नीबू बगीचे के विक्रय हेतु दरों को स्वीकृत किया गया है एवं अनुबंधकर्ता ई-निविदा की निर्धारित शर्तों अनुसार निगम में कार्य करने हेतु सहमत है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्तें एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे एवं अनुबंधकर्ता को मान्य होंगे । शर्तों एवं नियमों का अनुबंधकर्ता उल्लंघन करता है तो निगम पूर्ण रूप से निगम की शर्तों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकारी रहेगा ।

1. ई-निविदा प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्तें ।
2. प्रदायक का सहमति पत्र ।
3. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत ई-निविदा व अन्य जानकारीयां ।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेजों के उल्लेखित नियम व शर्तें अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा ।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

अनुबंधकर्ता

नाम :

पता :

प्रभारी ,
यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र,बाबई

1. गवाह का नाम :
एवं पता

2. गवाह का नाम :

हस्ताक्षर

एवं पता

हस्ताक्षर



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर भोपाल
दूरभाष: मुख्यालय भोपाल-0755 -2551967, 2776575

प्रपत्र क.-3

आम, कटहल एवं नीबू बगीचों में लगे फल के विक्रय एवं उक्तावधि में वृक्ष संवर्धन हेतु बगीचों की संकल्प धनराशि के सम्पूर्ण जानकारी का विवरण

क्र.	बगीचे का नाम	इकाई क्र.	रकबा एकड़ में	प्लॉट क्र.	वृक्षों की संख्या	निर्धारित संकल्प धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	आम (Aam)	एक	82	5,6,7,8 एवं 9	1215	3,00,000 / -
2	आम (Aam)	एक	53	14 एवं 15	896	2,00,000 / -
3	आम (Aam)	एक	04	15	203	50,000 / -
4	आम (Aam)	एक	12	12,13 एवं 16	143	25,000 / -
5	आम (Aam)	दो	80	28,30,32 एवं 33	1216	3,00,000 / -
6	आम (Aam)	दो	47	35,36, एवं 37	353	1,50,000 / -
7	आम (Aam)	नर्सरी	10	22 एवं 23	216	1,00,000 / -
8	आम (Aam)	तीन	50	39, 40, 41 एवं 42	527	2,00,000 / -
9	आम (Aam) तोतापुरी	दो	5	21	1880	2,00,000 / -
10	कटहल	एक	18	अ / 10	404	2,00,000 / -

	(Kathal)					
11	कटहल (Kathal)	एक	26	ब / 11	669	3,00,000 / —
12	नीबू	तीन	18	44	924	10,000 / —

प्रबंधक (बाबई)

- 1 ई—निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर ऑनलाईन अपलोड एवं संकल्प धन राशि ऑनलाईन जमा किया जाना होगा

निविदाकार के हस्ताक्षर

1. नाम.....
2. पता.....
3. पेन नं.....
4. दूरभाष / मोबाईल नं.....



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर भोपाल
दूरभाष: मुख्यालय भोपाल-0755 –2551967, 2776575

प्रपत्र क्र.-4

वित्तीय प्रस्ताव जिसे मात्र ऑनलाईन भरा जावे

क्र.	बगीचे का नाम	इकाई क्र.	रकबा एकड़ में	प्लॉट क्र.	वृक्षों की संख्या	पूर्ण क्षेत्रफल एवं वृक्षों के लिये प्रस्तुत दर	
						अंको में	शब्दों में
1	Aam	एक	82	5,6,7,8 एवं 9	1215		
2	Aam	एक	53	14 एवं 15	896		
3	Aam	एक	04	15	203		
4	Aam	एक	12	12,13 एवं 16	143		
5	Aam	दो	80	28,30,32 एवं 33	1216		
6	Aam	दो	47	35,36, एवं 37	353		
7	Aam	नर्सरी	10	22 एवं 23	216		
8	Aam	तीन	50	39, 40, 41 एवं 42	527		
9	(Aam) तोतापुरी	दो	5	21	1880		
10	Kathal	एक	18	अ / 10	406		
11	Kathal	एक	26	ब / 11	667		
11	नीबू	तीन	18	44	924		

निविदाकार के हस्ताक्षर

1. नाम.....
2. पता.....
3. दूरभाष क्रमांक.....
4. पेन नं.....
5. बैंक खाता क्र.....
6. आधार कार्ड नं.....
7. बैंक का नाम एवं शाखा.....
8. जी.एस.टी. नं.....

Minutes Of Meeting For Finalisation Of Tender Document Held On 12.04.2023

In accordance to the above subject the tender for sale of fruits on trees present in the Babai farm. As per the the stores and purchase rules 2015 (ammendedment 2022) and the letter received by this office from M.P Micro, Small, Medium Indusrties Department, Mantralaya, Vallabh Bhavan, Bhopal vide their letter number F-9-20/2021/ A-73 dated 13.01.2023 and the instructions by the Managing Director tenders are to be floated online. To examine the tender document in toto which is to be floated online following committee members were present

S.no	Name of the member	Designation
1	Shri Manoj Jain	Manager RTE
2	Shri Rajesh Ambwani.	Executive Engineer (Biogas, Civil)
3	Dr. Rahul Bansod	Sr. Asst Microbiologist (Babai, B.F.P)
4	Shri Saransh jain	Manager (legal)
5	Shri Gaurav Mittal	Chartered Accountant (Accts)

The Committee members were informed that

1. During the past years the tender were floated offline (dibba paddhhati) and this year in accordance to the MSME referred letter and the stores and purchase rules 2015 (ammendments 2022) first time the tenders are being floated on-line.
2. The tender is devised as per the e-tender format and that previous years tender conditions remains the same.
3. The tender is urgent to be floated within time limit (before the start of fruit ripening) for the sale of fruiting on the trees of Mango, Kathal, Chiku present in the Babai farm of the Corporation.

In view of above points the committee examined the tender in toto and thereby give its following recommendations :-

1. The tender is devised as per the e-tender format. No major change in the terms and conditions are done in the tender documents and it is at par with the previous years terms and conditions. The tender is for the sale of the mango, Kathal, and chiku fruit on the trees in the Bbai farm. The committee hereby recommend that the tender is found to be correct in toto to called the rates for the contract of sale of fruit containing trees and may be floated online.

Manoj Jain
Manager RTE

Rajesh Ambwani.
Executive Engineer (Biogas,
Civil)

Dr. Rahul Bansod
Sr. Asst Microbiologist
(Babai, B.F.P)

Saransh jain
Manager (legal)

Gaurav Mittal
Chartered Accountant
(Accts)



दि एम.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

दूरभाष : मुख्यालय भोपाल 0755-2551967, 2776575

बाबई फार्म 9425166866

क्र./मुख्या/बाबई/2023-24/177

दिनांक 24.04.2023

आम, कटहल एवं चीकू बगीचों में लगे फल के क्रय एवं उत्तावधि में वृक्ष संवर्धन हेतु ई-निविदा सूचना

निगम के यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र, बाबई जिला होशंगाबाद में आम, कटहल एवं चीकू बगीचों में फल के नीलामी एवं उत्तावधि में वृक्ष संवर्धन हेतु ई-निविदा दिनांक 08.05.2023 तक आमंत्रित की जाती है। www.mptenders.gov.in पर विस्तृत जानकारी के साथ ऑनलाइन भाग लिया जा सकता है। निगम की वेबसाइट www.mpagro.org पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। निविदान्तर्गत समस्त शुद्धि पत्र की सूचना मात्र www.mpagro.org वेबसाइट पर ही दी जायेगी।

म.प्र. माध्यम/109543/2023

प्रबंधक (बाबई)